ऋण की मात्रा: बैंक योग्य परियोजनाओं पर ऋण राशि के रूप में इकाई लागत का 80%

ब्याज सबवेंशन: निर्धारित योग्य मात्स्यिकी आधारित अवसंरचना गतिविधियों के विकास हेतु सभी पात्र संस्थाओं के लिए प्रति वर्ष 3% तक

चुकौती: मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की मोहलत सहित 12 वर्ष की अधिकतम चुकौती अवधि

आवेदन कैसे करें: वेबसाइट nfdb.gov.in में दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लागत अनुमान के साथ, लेआउट ड्रॉइंग, मशीनरी के लिए कोटेशन, उपकरण, भूमि दस्तावेज, और अर्थशास्त्र

परियोजना प्रस्ताव ऑनलाइन www.fidf.in पर जमा करें या डाक के माध्यम से भेजें

प्रति	प्रतिलिपि
संयुक्त सचिव (मत्स्य पालन) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली-110001	मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, स्तंभ संख्या: 235, पीवीएनआर एक्सप्रेसवे, एसवीपीएनपीए पोस्ट, हैदराबाद-500052

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें
टोल फ्री नंबर: 1800-425-1660
सोम-शुक्र: सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक

वेबसाइट: www.fidf.in (or) nfdb.gov.in
ईमेल: fidf.nfdb@gmail.com (or) info.nfdb@nic.in

भारत सरकार
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य पालन विभाग

मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफ.आई.डी.एफ.)

"पहले आओ पहले पाओ पर आधारित"

नोडल कार्यान्वयन एजेंसी

NFDB

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार,
स्तंभ संख्या: 235, पीवीएनआर एक्सप्रेसवे, एसवीपीएनपीए पोस्ट, हैदराबाद-500052
फोन: 040-24000201, वेबसाइट: www.fidf.in (or) nfdb.gov.in,
ईमेल: fidf.nfdb@gmail.com (or) info.nfdb@nic.in

परिचय:

मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे में बड़े अंतराल को भरने के लिए, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने एक समर्पित मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) की स्थापना की है। एफ.आई.डी.एफ. का लक्ष्य 2022-23 तक देश के मछली उत्पादन को लगभग 20 मिलियन टन के स्तर तक बढ़ाने के लिए 8-9 प्रतिशत की सतत वृद्धि हासिल करना है।

उद्देश्य:

1. कैप्चर एंड कल्चर मत्स्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का निर्माण और आधुनिकीकरण
2. मरीन एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चरका निर्माण
3. इनलैंड फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चरका निर्माण और आधुनिकीकरण
4. पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कम करना और बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से घरेलू विपणन सुविधाओं में सुधार करना
5. संसाधन अंतर को पाटना और चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करना

नोडल ऋण देने वाली संस्थाएं (एन. एल. ई.)	पात्र संस्थाएं (ई.ई.)
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	सभी राज्य सरकारें/ केन्द्र शासित प्रदेश, उद्यमी, कम्पनियाँ, शारीरिक रूप से अक्षम लोग, महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सीमांत किसान, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य सहकारी संघ, मछली किसानों के सामूहिक समूह और मछली उत्पादक समूह
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी)	
सभी अनुसूचित बैंक	

एफ.आई.डी.एफ के तहत पात्र निवेश गतिविधियां

क्रमांक	घटक	इकाई	इकाई लागत (रु. लाख में)
1	फिशिंग हार्बर्स की स्थापना	संख्या	15000.00
2	फिश लैंडिंग सेंटर की स्थापना	संख्या	1000.00
3	आइस प्लांट्स का निर्माण (समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र दोनों में)	संख्या	100.00
4	कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र दोनों में)	संख्या	100.00
5	मछली परिवहन सुविधाएं (समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र)	संख्या	20.00
6	इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन (समुद्री और अंतर्देशीय क्षेत्र)	संख्या	500.00
7	आधुनिक मछली बाजारों का विकास	संख्या	100.00
8	ब्रूड बैंकों की स्थापना	संख्या	1000.00
9	हैचरी का विकास	संख्या	50.00
10	जलीय कृषि का विकास	हे.	7.00
11	राज्य मत्स्य बीज फार्म का आधुनिकीकरण	संख्या	500.00
12	अत्याधुनिक मात्स्यिकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	संख्या	500.00
13	मछली प्रसंस्करण इकाइयाँ	संख्या	4674.00
14	फिश फीड मिल्स / प्लांट्स		
	(ए) न्यूनतम ४ से ५ टन प्रतिदिन की क्षमता वाली फीड मिल	संख्या	10.00
	(बी) कम से कम १० टन प्रतिदिन की क्षमता वाली फीड मिल /संयंत्र	संख्या	650.00
15	जलाशय में केज कल्चर की स्थापना	संख्या	3.00
16	डीप सी फिशिंग वेसल्स	संख्या	80.00
17	रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना	संख्या	150.00
18	समुद्री कृषि का विकास		
	(ए) समुद्री केज कल्चर	संख्या	5.00
	(बी) हैचरी	संख्या	50.00
	(सी) नर्सरी क्षेत्र	हे.	6.00
	(डी) समुद्री शैवाल/बाइवाल्व/पर्ल कल्चर	4225.00 लाख रुपये की कुल एकमुश्त राशि के साथ	
19	एक्वेटिक क्वारेंटाइन सुविधाओं की स्थापना	संख्या	2500.00
20	मछली उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई कोई अन्य नवीन परियोजना/गतिविधियां		एकमुश्त